

प्रार्थीगण

रामकिशोर

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

बनाम

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।

04.06.2020

यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान कारतकारी अधिनियम सपठित 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री मुन्नीलाल कडवासरा ने पेश किया। बहस वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे गामला प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है एवं ग्राम तंवरा तहसील जायल के खसरा नं. 370 रकबा 5.1557 हैक्टयेर में प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे कारत की भूमि तथा राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन तथा भूमि का बैचान हस्तान्तरण यदि होता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी पक्ष को होगी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला विवादित खसरा के विभाजन का प्रतीत होता है जिसमें दोनों पक्षों का हित निहित है। उक्त भूमि में सुविधा का संतुलन भी उभयपक्षकारान के पक्ष में प्रतीत होता है तथा उक्त भूमि का बिना विधिवत् बंटवारे के बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि होता है तो अपूरणीय क्षति भी उभय पक्षकारान् को होगी।

अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। उभय पक्षकारान् को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 6 मौजा तंवरा तहसील जायल के खसरा नं. 370 रकबा 5.1557 हैक्टयेर भूमि का बैचान, हस्तान्तरण आगामी तारीख पेशी तक नहीं करे तथा अप्रार्थीगण संख्या 7 राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखे। अप्रार्थीगण को जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 08.7.2020 को पेश हो।

*(Signature)*  
सहायक कलक्टर  
(एस. डी. एम.) जायल (नागौर)

8.7.20

पत्रावली पेश की जायेगी पत्र से संबंधित मूल वाद जरिये विद्वेष्य खारिज किया जा चुका है जिससे उक्त हार्थी पक्ष को क्षति-फलन का डेरि-कोन्सिडर नही है। अतः प्रार्थी का अधीन धारा 212 R.A.C. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा घोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फोतल सुफर दोकर नम्बर से ह्य है।

M.V

रामकिशोर

*(Signature)*  
सहायक कलक्टर  
(एस. डी. एम.) जायल (नागौर)